न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र ग्वालियर भोपाल बेंच

निग-37.04-I-16 प्रकरण क्र. /निगरानी/16–17

1. कंन्छेदीलाल

2. करोड़ीलाल – पुत्रगण

मौजीलाल साहू, नि.ग्राम पिपरिया,

तहसील बासौदा जिला विदिशा म.प्र. ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. संतोष अरोरा पुत्र श्री गणेश प्रसाद अरोरा,

2. करन पुत्र हरिसिंह कपूर,

3. राजा भरत पुत्र मुन्नालाल ब्राम्हण, निवासीगण

कृषक ग्राम मसूदपुर, तहसील बासौदा जिला ....अनावेदकगण

विदिशा म.प्र.

<u>निगरानी म.प्र. भू – राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत</u>

महोदय,

विन्रम निवेदन है कि आवेदकगण के संयुक्त खाते की भूमि स्थित ग्राम मसुदपुर तह. बासौदा खसरा न. 270 रकबा 6.722 हेक्टेयर एवं खसरा न. 282 रकबा 1.180 के संबन्ध में पक्षकरों के मध्य व्यवहारवाद क्र. 63/212 विचाराधीन होने के दौरान अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय बासौदा में म.प्र. भू – राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत दावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर तहसील न्यायालय में निवेदन किया गया की व्यवहारवाद के निराकरण तक न तो बटवारा होना चाहिए और न ही धारा 250 के तहत कार्यवाही का कोई वैधानीक अर्थ है। आवेदकगण के इस आवेदन को नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा दिनॉक 26/09/2016 को निरस्त कर देने से दुखी होकर यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

<u>प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है :–</u>

1. यह कि आवेदकगण के संयुक्त खाते की भूमि खसरा नम्बर 270 रकबा 6.722 हेक्टेयर ... सर्वे क्र. 282 रकबा 1.180 हेक्टेयर के संबन्ध में स्वत्व घोषणा एवं स्थायी ... है जिसमें अनावेदकगण भी पक्षकार

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– निग0 3704–एक/16 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/12/17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी नायब तहसीलदार, बासौदा जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/अ–70/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26–9–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 250 के तहत आवेदकगण के विरूद्ध आवेदन पेश कर सीमांकन में आवेदकों के अवैध कब्जे में पाई गई भूमि को दिलाने की मांग की गई । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने कार्यवाही प्रारंभ की । कार्यवाही के दौरान आवेदकों द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत एक आवेदन दिया गया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये हैं कि अनावेदकों ने संयुक्त खाते की भूमि में से चतर्सीमा दर्शाते हुए भूमि क्रय की है । संयुक्त खाते में से केवल हिस्से का विक्रय किया जा सकता है, जब तक स्वत्व निर्धारित होकर मौके पर बटवारा न हो बटवारे या कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । सीमांकन की कार्यवाही आवेदकों की गैर मौजूदगी में की गई जो आवेदकों पर बंधनकारी नहीं है । 4/ अनोवदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवलोकन किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 32 के तहत जो आवेदन पेश किया गया है, उसमें उन्होंने यह कि जब तक व्यवहार न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व का निराकरण नहीं हो जाता तब तक संहिता की धारा 178 एवं 250 के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती । तहसील न्यायालय ने आवेदक के आवेदन को व्यवहार वाद में स्थगन न होने के आधार पर निरस्त करते हुए प्रकरण प्रति परीक्षण हेतु नियत किया गया है । इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत वाद में स्थगन दिया गया है । व्यवहार न्यायालय से स्थगन न होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, उसमें प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की जा रही कार्यवाही में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रशा0 सदस्य	